

कार्यालय-अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,  
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

E-mail:nodalofficerddn@gmail.com

Phone/ Fax: 0135-2767611

पत्रांक- 876 /FP/UK/HYD/22889/2016 : देहरादून:

दिनांक:

28

सितम्बर, 2022

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक,  
भारत सरकार,  
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,  
क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर-मध्य क्षेत्र),  
25 सुभाष रोड़, देहरादून।

विषय:- जनपद उत्तरकाशी के अंतर्गत सुपिन नदी पर प्रस्तावित 44 मेगावाट क्षमता की जखोल-सांखरी जल विद्युत परियोजना के निर्माण हेतु 24.317 है० वन भूमि के संबध में।

सन्दर्भ:- भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर-मध्य क्षेत्र), देहरादून का पत्र सं०-08बी/यू०सी०पी०/०१/१४६/२०१८/एफ०सी०/१६४३, दिनांक:-०४.०८.२०२२।

महोदय,

भारत सरकार, के उपर्युक्त विषयक सन्दर्भित पत्र का संज्ञान लेने का कष्ट करें, जिससे भारत सरकार द्वारा विषयांकित प्रकरण कतिपय सूचना चाही गयी थी, जिसकी अनुपालन आख्या निदेशक/वन संरक्षक, राजाजी टाइगर रिजर्व, देहरादून उत्तराखण्ड के पत्र संख्या-525/12-1 दिनांक 05.09.2022 (प्रति संलग्न) के द्वारा इस कार्यालय को उपलब्ध करायी गयी है। सूचना/आख्या संलग्न कर अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है।

क्र. सं.	आपत्ति	निराकरण
1	The reply submitted with respect to the point no(s)1,2 and 3 of the EDS dt. 08-04-2022 are required to be uploaded in the Part-I and II of the online portal.	The reply to the EDS by IRO MOEF & CC Dehradun vide letter dated-08-04-2022 has been uploaded in the Part I and II the online portal. (संलग्न-01)
2	As per DSS analysis, the area estimated from KML, Files in 21.60 ha instead of the area 24.317 ha proposed for diversion. The state Govt. is requested to upload the updated KML Files in perusal to the point no.4 of the EDS dt. 08-04-2022.	उक्त के संबध में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा संदर्भित पत्र के क्रम में अवगत कराया गया है कि पार्ट-1 में संशोधित के०एम०एल फाईल अपलोड कर दी गयी है। DSS analysis, की रिपोर्ट भाग-2 में अपलोड कर दी गयी है।(संलग्न-02)

अतः निदेशक/वन संरक्षक, राजाजी टाइगर रिजर्व, देहरादून उत्तराखण्ड द्वारा प्रेषित सूचना आख्या के क्रम में विषयगत प्रकरण में वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के अन्तर्गत यथोचित कार्यवाही करने का कष्ट करें।  
संलग्न-उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(एस०एस०रसाईली)

अपर प्रमुख वन संरक्षण एवं नोडल अधिकारी,  
वन संरक्षण, उत्तराखण्ड, देहरादून।

संख्या : / FP/UK/HYD/22889/2016 दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- निदेशक/वन संरक्षक, राजाजी टाइगर रिजर्व, देहरादून उत्तराखण्ड के पत्र संख्या-525/12-1 दिनांक 05.09.2022 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।
- उप निदेशक, गोविन्द वन्य जीव विहार एवं राष्ट्रीय पार्क, पुरोला (उत्तरकाशी)।

(एस०एस०रसाईली)

अपर प्रमुख वन संरक्षण एवं नोडल अधिकारी,